संख्या-248 /2018/1323/23-14-2018-42आ0पू0वि0नि0/2017

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सुल्तानपुर ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 19 दिसम्बर, 2018**

विषय-पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर की 06 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-63/2018/59/23-14-2018-42आ0पू0वि0नि0/2017, दिनांक 27.02.2018 द्वारा जनपद-सुल्तानपुर की निम्नांकित तालिका में उल्लिखित 08 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 1503.30 लाख के सापेक्ष रू0 300.62 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी, जिसमें निम्नांकित तालिका में अंकित 06 परियोजनाओं के संबंध में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 234.68 लाख भी सम्मिलित है।

आपके पत्र संख्या-3546/पू0वि0नि0/राज्यांश/18-19, दिनांक 15.11.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका में उल्लिखित जनपद-सुल्तानपुर की 06 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 6,00,00,000.00 (रू0 छः करोड़ मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजनाओं की कार्यदायी संस्था, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर हैं, परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	[redacted] का नाम/जनपद-सुल्तानपुर	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	तकनीकी स्वीकृति की लागत	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बसुही से शाहबडेपुर सदरपुर पकड़ीकला परशुरामपुर सम्पर्क मार्ग।	3.00	178.99	175.77	35.79	100.00
2	बजेठी नहर के पुल से नहर की पटरी होते हुए बुधईयापुर सम्पर्क मार्ग।	3.00	179.94	174.80	35.98	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	कामतागंज, बभनगंवा मार्ग से नहर की पटरी होते हुए जगदीशपुर सलाहपुर होते हुए बदरूदीनपुर सम्पर्क मार्ग से बरूआ जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग।	4.50	230.79	226.71	46.15	100.00
4	दहलवा पूरब बस्ती से जंगल होते हुए निषाद बस्ती गोमती किनारे तक सम्पर्क मार्ग।	3.00	177.32	172.91	35.46	100.00
5	जुडारा वर्मा बस्ती से होते हुए वर्मा पाल बस्ती से ऊॅचहरा पड़ान बस्ती होते हुए पुरूषोत्तमपुर लाल बस्ती तक सम्पर्क मार्ग।	4.70	234.42	231.20	46.88	100.00
6	गौहानी से अजितपुर माइनर से होते हुए जवाहरलाल स्मारक विद्यालय गरयें तक सम्पर्क मार्ग।	3.00	172.12	168.42	34.42	100.00
	योग	**21.2**	**1173.58**	**1149.81**	**234.68**	**600.00**

2- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय संबंधित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

4- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्यो के अवशेष कार्य कडी निगरानी में समयबद्व ढंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेगें कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगें। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजना के मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होगें एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उपर्युक्त रू0 6,00,00,000.00 (रू0 छः करोड़ मात्र) की स्वीकृति जनपद-सुल्तानपुर के उल्लिखित 06 कार्यों के लिए दी जा रही है।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-248/2018/1323(1)/23-14-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।
4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सुल्तानपुर ।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या ।
7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, इलाहाबाद।
9- बेव अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।